


हरियाणा सरकार
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
आदेश

सरकार के पृ० क्रमांक केसी/टीई/९९/१५८/प्रशासन-१/१४३३६ दिनांक २३.१२.२०१६ द्वारा श्री राज कुमार, प्रधानाचार्य वर्ग 'ख' राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रायपुररानी के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), अम्बाला शहर में किये गये स्थानान्तरण आदेश तत्काल प्रभाव से रद्द किये जाते हैं।

दिनांक ७.२.२०१७

ए.के.सिंह
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग।

- पृ० क्रमांक केसी/टीई/९९/१५८/प्रशासन-१/३२३६ दिनांक १६/२/१७
- उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-
१. निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
 २. ओ.एस.डी./मुख्यमन्त्री।
 ३. निजी सचिव/आई.टी.एम।
 ४. निजी सचिव/प्रधान सचिव।
 ५. उप निदेशक (लेखा)।
 ६. प्रधानाचार्य, राजकीय आई.टी.आई.(महिला), अम्बाला शहर, राजकीय आई.टी.आई. रायपुररानी।
 ७. नोडल अधिकारी वेबसाइट पर अपलोड करने बारे।
 ८. निजी सहायक/निदेशक।
 ९. उप अधीक्षक (ए.सी.आर.) (मुख्यालय पर)।


अधीक्षक (औ.प्रशि.)
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग।